न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– मूलचन्द लूणियां आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 119/2022
निर्णय दिनांक : 30.01.2023

कोजुराम पुत्र घेवरराम जाति डाकोत निवासी ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राज.)

..........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

..........प्रतिवादी

उपस्थित :–
1. श्री ओमप्रकाश घोटिया अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार राज नायब तहसीलदार सुजानगढ़

दावा रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधि. 1955

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत ख.स 366 तादादी 1.5426 हैक्टेयर, ख.स. 420 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, ख.स. 422 तादादी 2.8198 हैक्टेयर, ख.स. 443 तादादी 1.1380 हैक्टेयर, ख.स. 468 तादादी 6.6006 हैक्टेयर, ख.स. 528 तादादी 3.3382 हैक्टेयर, ख. स. 751 तादादी 6.1328 हैक्टेयर कुल तादादी 25.0620 हैक्टेयर रोही जैतासर आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित हैं जिसमें वादी का नाम श्रवण पुत्र घेवरराम हिस्सा 1/18 जाति डाकोत निवासी जैतासर अंकित है जबकि वादी का नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता, जनआधार कार्ड में कोजुराम पुत्र घेवरराम अंकित है।

उपरोक्त भूमि में वादी का नाम कोजुराम पुत्र घेवरराम है जिससे वादी का नाम गलत अंकित होने से सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड में भी वादी को नाम की परेशानी आ रही है जिससे वादी को अपूर्तिय क्षति हो रही है। अतः वादी का नाम वादगत भूमि में श्रवण पुत्र घेवरराम के स्थान पर कोजुराम पुत्र घेवरराम संशोधन क[illegible]

वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ से वादगत भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.02.13 12:08:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि में वादी का नाम श्रवण पुत्र घेवरराम दर्ज है। जो गलत चला आ रहा है जबकि वादी के दस्तावेजों में कोजूराम पुत्र घेवरराम है। श्रवण व कोजूराम दोनों एक ही व्यक्ति है अलग–अलग नहीं है। अतः वादगत भूमि में वादी का नाम श्रवण पुत्र घेवरराम के स्थान पर कोजुराम पुत्र घेवरराम किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के आधार कार्ड में, परिवार राशन कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति आदि दस्तावेज में भी प्रार्थी का सही नाम श्रवण पुत्र घेवरराम ही है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र में वर्णितानुसार तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजात का तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सुजानगढ़ जो कि भू–धारक है ने वादगत भूमि में वादी का नाम दुरस्त करने की अनुशंषा की है। वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत जैतासर के प्रमाण पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया जिसके मुताबिक भी ग्राम पंचायत ने यह प्रमाणित किया है कि कोजुराम पुत्र घेवर राम निवासी ग्राम पंचायत जैतासर के हैं तथा कोजुराम उर्फ श्रवण दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः न्यायालय वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

अतः दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत ख.स 366 तादादी 1.5426 हैक्टेयर, ख.स. 420 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, ख.स. 422 तादादी 2.8198 हैक्टेयर, ख.स. 443 तादादी 1.1380 हैक्टेयर, ख.स. 468 तादादी 6.6006 हैक्टेयर, ख.स. 528 तादादी 3.3382 हैक्टेयर, ख.स. 751 तादादी 6.1328 हैक्टेयर कुल तादादी 25.0620 हैक्टेयर रोही जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खातेदार के रूप में दर्ज श्रवण पुत्र घेवरराम हिस्सा 1/18 जाति डाकोत निवासी जैतासर खातेदार के स्थान पर कोजुराम पुत्र घेवरराम हिस्सा 1/18 जाति डाकोत निवासी जैतासर खातेदार दर्ज करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.02.13 12:08:33 IST
Reason: SelfAttested

मूलचन्द लूणियां
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

व इजलास **श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस**

कोजुराम बनाम राज. सरकार आदि

दावा बाबत डिक्री घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरस्ती एवं संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 119 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री मोहनलाल बिशु एड़, श्री ओमप्रकाश घोटिया एड. मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत ख.स 366 तादादी 1.5426 हैक्टेयर, ख.स. 420 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, ख.स. 422 तादादी 2.8198 हैक्टेयर, ख.स. 443 तादादी 1.1380 हैक्टेयर, ख.स. 468 तादादी 6.6006 हैक्टेयर, ख.स. 528 तादादी 3.3382 हैक्टेयर, ख.स. 751 तादादी 6.1328 हैक्टेयर कुल तादादी 25.0620 हैक्टेयर रोही जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खातेदार के रूप में दर्ज श्रवण पुत्र घेवरराम हिस्सा 1/18 जाति डाकोत निवासी जैतासर खातेदार के स्थान पर कोजुराम पुत्र घेवरराम हिस्सा 1/18 जाति डाकोत निवासी जैतासर खातेदार दर्ज करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को लिखा जावे।

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 **माह 01 . 2023**

दस्तखत ....

....

मुहर

ओहदा ....

....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.02.13 12:08:33 IST
Reason: SelfAttested

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।